

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Jhunjhunu

No ..318

Dated ...1.2.18...

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest Dwellers (recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 13.015 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NRSSXXXVI Limited for transmission line project (purpose for diversion of forest land) in JHUNJHUNU district falls within jurisdiction of three villages in Khetri tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 13.015 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), gram sabha(s), sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure ...01... To ...09... Annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the grama sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and per-agricultural communities.

Encls : As above.


(Dinesh Kumar Yadav)
District Collector, Jhunjhunu

बाहुलवास पंचायत, (पंचायत समिति खेतड़ी, जिला झुन्झुनू)

दिनांक 26/01/2018 की विशेष ग्राम सभा

कार्यवाही विवरण

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुन्झुनू के पत्रांक — 8645 दिनांक 23/01/2018 के संदर्भ में श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति खेतड़ी के पत्रांक 13825-32 दिनांक 23/01/2018 की अनुपालना में ग्राम सभा का आयोजन 312ल सेवा बेंद्र नांगलिया गुर्जरवास पर सुबह 11:00 AM बजे पर अध्यक्ष श्रीमती सुनिता देवी सरपंच की अध्यक्षता में आहूत की गई।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झुन्झुनू के आदेशानुसार एन.आर.एस.एस. 36 ट्रांसमिशन लि. के द्वारा बबाई से भिवानी तक की 400 के.वी.डी./सी. ट्रांसमिशन लाईन में आने वाली वन भूमि से बाहुलवास पंचायत के प्रभावित सर्वे नं. 982 (रकबा 0.034 है. एवं 0.120 है.), सर्वे नं. 1004 (रकबा 0.080 है.), सर्वे नं. 1034 (रकबा 0.133 है.) में आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत माननीय जिलाधीश महोदय, झुन्झुनू द्वारा दिया जाना है। अतः उक्त प्रमाण पत्र हेतु वन क्षेत्र की भूमि से आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने के सम्बन्ध में ग्राम सभा आयोजित कर कार्यवाही उच्च अधिकारियों को भेजनी है।

सर्वप्रथम इस विषय पर सरपंच श्रीमती सुनिता देवी ने जन समुदाय को अपनी राय बताने को कहा। इस पर ग्रामीणों ने विचार विमर्श किया।

विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बाहुलवास की वन भूमि के खसरा नं. 982 (रकबा 0.034 है. एवं 0.120 है.), सर्वे नं. 1004 (रकबा 0.080 है.), सर्वे नं. 1034 (रकबा 0.133 है.) में आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः कार्यवाही (प्रस्ताव) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

Y. Z.
ग्रामसेवक पटन सचिव
मा. प. नांगलिया गुर्जरवास
प. स. खेतड़ी (झुन्झुनू)

C.B.

श्रीमती

सुनिता

ग्रामसेवक पटन सचिव
मा. प. नांगलिया गुर्जरवास
प. स. खेतड़ी (झुन्झुनू)

दिनांक 26/01/2018 की विशेष आम सभा

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मुम्बई के पत्रांक 8645 दिनांक 23/01/2018 के निर्देश में श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति रवेतडी के पत्रांक दिनांक 23/01/2018 की अनुपालना में आम सभा का आयोजन अटल सेवा केन्द्र नागलिया गुजरवास पर सुबह 11.00 AM बजे पर अध्यक्ष श्रीमती सुनिता देवी सुरपंच की अध्यक्षता में आहूत की गई। आम सभा में उपस्थित शायीनो को बताया गया कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मुम्बई के कार्यानुसार एन-आर एस एस 36 ग्राममिशनात्मक के द्वारा वनार से शिवानी तक की 400 के की डी/सी. ग्राममिशन लाइन में आनेवाली वन भूमि से बाइलवास आम के प्रभावित सर्वे नं 982 (रकबा 0.034 है एवं 0.120 है) सर्वे नं 1004 (रकबा 0.080 है) सर्वे नं 1034 (रकबा 0.133 है) में आदिम जनजाति एवं पारम्परिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत माननीय जिला चीफ महोदय मुम्बई द्वारा दिया जाना है। अतः उक्त प्रमाण पत्र हेतु वन क्षेत्र की भूमि से आदिम जनजाति एवं पारम्परिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने के

श्रीमान

श्रीमान

प्रकाश

नादर

श्रीमान

गोपनीय

प्रकाश

प्रकाश

प्रकाश

प्रकाश

प्रकाश

प्रकाश

प्रकाश

प्रकाश

दिनांक 26/01/2018 काम सभा

है। सर्व प्रथम इस विषय पर सरफंज - अमीर
शुभिता देवी ने जन समुदाय को अपनी राय
बताने का कहा। इस पर आमीरों ने विचार
विमर्श किया। विचार विमर्श उपरान्त सर्व
सम्मति से निर्णय लिया गया कि वन विभागा
के डायरेक्टर राजस्व और लाइसेंस की
वस्तुओं के खसरा नं. 982 (रकबा 0.0035 है) से
एवं 0.120 है) सर्वे नं. 1004 (रकबा 0.080 है)
शेरे नं. 1034 (रकबा 0.133 है) में आदिम जन
जाति एवं पारम्परिक वृक्षक समुदाय के हित
प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः कार्यवाही (प्रभाव) का
सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

यस
ग्रामसेवक पदम सचिव

प. प. नांगलिया गुर्जरवार

प. स. खेतड़ी (मुन्हा)

सुनीता

उप-वि
के कार्य

मद-तला

अमीर
नाम चन्द

अमीर
दि 22/2/18

समकुमारपुरा (पपुरना) पंचायत, (पंचायत सामात खतना, जिला झुझुनू)

दिनांक 26/01/2018 की विशेष ग्राम सभा

कार्यवाही विवरण

समाप्त आचार्यका मुख्य कार्यवाही अधिकारी जिला परिषद झुझुनू के पत्रक संख्या दिनांक 23/01/2018 के संदर्भ में श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति खतना के पत्रक 13825-32 दिनांक 23/01/2018 की अनुपालना में ग्राम सभा का आयोजन 26-01-2018 पर सुबह 10.00 बजे पर अध्यक्ष श्री मली जयपु कर्

संरपंच की अध्यक्षता में आहूत की गई।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यवाही अधिकारी जिला परिषद झुझुनू के आदेशानुसार एन.आर.एस.एस. 38 द्वारा विज्ञापित जिन के द्वारा बबाई से भिवानी तक की 400 कै.वी.डी./सी. ट्रांसमिशन लाईन में आने वाली वन भूमि से समकुमारपुरा (पपुरना) पंचायत के प्रभावित सर्वे नं. 338(रकबा 0.376 है) एवं सर्वे नं. 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100 (कुल रकबा 6.709 हैक्टर) में आदिम जनजाति एवं प्रारंभिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने का एन.आर.एस.एस. प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत माननीय जिलाधीश महोदय झुझुनू द्वारा दिया जाना है। अतः उक्त प्रमाण पत्र हेतु वन क्षेत्र की भूमि से आदिम जनजाति एवं प्रारंभिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने के सम्बन्ध में ग्राम सभा आयोजित कर कार्यवाही उच्च अधिकारियों को भेजनी है।

सर्वप्रथम इस विषय पर संरपंच श्री मली जयपु कर् ने जन समुदाय को अपनी राय बताने को कहा। इस पर ग्रामीणों ने विचार विमर्श किया।

विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अन्तर्गत राजस्व ग्राम समकुमारपुरा (पपुरना) की वन भूमि के खसरा नं. 338(रकबा 0.376 है) एवं सर्वे नं. 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100 (कुल रकबा 6.709 हैक्टर) में आदिम जनजाति एवं प्रारंभिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः कार्यवाही (प्रस्ताव) को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्राप्तकर्ता

कार्यवाही

...

C.S.

...

जयपु कर्

(जयपु कर्)

...

सम समा दिनांक 26.01.18

94 ना 9 सरमा 12. विभागाधिकारी पीछे 3. री पं सं सं 10 3)
के माहिती आदेशों की अस्थायीता में भी मान आदेशों के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कुंभुद
के पत्रांक - 8695 दिनांक 23-1-18 के संदर्भ में
भीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति
खेजड़ी के पत्रांक 13825-32 दिनांक 23-1-18
की अनुपालना में ग्राम समा अ आयोजन
दिना 1 भीमान आदेशों के मुख्य कार्यकारी
अधिकारी जिला परिषद कुंभुद के आदेशावली
एन. आर. एस. एस. 36 द्वारा निर्धारित के द्वारा ककाई
के निर्णय के पत्रांक 3. पी. डी. सी. 1. एस. एस.
लाइम में आने वाली वन भूमि से राम कुमारपुरा
(पु.सा.) पंचायत के उमाडिल सं. 338 (संका
0.376 ई.) एंड सं. 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100
(कुल संका 6.709 ई. सं.) में आदि जनजाति
एक पारम्परिक लक्ष्य समुदाय के लिए उमाडिल
नहीं होने के एक आदेश उमाडिल पत्रांक वन अधिकारी
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत माननीय
मिलाधीस महोदय कुंभुद द्वारा दिया जाता है इन्फॉर्म
आदि उक्त उमाडिल पत्रांक सं. वन भूमि से
से आदि जनजाति एवं पारम्परिक लक्ष्य समुदायों के
के लिए उमाडिल नहीं होने के सं. सं. 100 से ग्राम
समा आयोजित कर गमवाही उक्त अधिकारियों
के नेतृत्व में विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति
से निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अंतर्गत
राजकुंभुद ग्राम राम कुमारपुरा की वन भूमि के
सं. 338 (संका 0.376 ई.) एंड सं. 84,
85, 96, 97, 98, 99, 100 (कुल संका 6.709 ई. सं.)
में आदि जनजाति एक पारम्परिक लक्ष्य समुदाय
के लिए उमाडिल नहीं होते हैं अतः उक्त
सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

माहिती
कार्यवाही

सी. डी. सी. 1

दिनांक

सुरक्षा

सर्वी

सं. 100

गढ़राटा पंचायत, (पंचायत समिति खेतड़ी, जिला झुन्झुनू)

दिनांक 26/01/2018 की विशेष ग्राम सभा

कार्यवाही विवरण

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुन्झुनू के पत्रांक — 8645 दिनांक 23/01/2018 के संदर्भ में श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति खेतड़ी के पत्रांक 13925-32 दिनांक 23/01/2018 की अनुपालना में ग्राम सभा का आयोजन ग.प. गढ़राटा के आहत खेत केन्द्र पर सुबह 10:00 बजे पर अध्यक्ष श्रीमती सुनित देवी सरपंच की अध्यक्षता में आहूत की गई।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झुन्झुनू के आदेशानुसार एन.आर.एस.एस. 36 ट्रांसमिशन लि. के द्वारा बबाई से भिवानी तक की 400 के.वी.डी./सी. ट्रांसमिशन लाईन में आने वाली वन भूमि से गढ़राटा पंचायत के प्रभावित सर्वे नं. 1642, 1634, 1641, 2681/1692, 1693, 1694, 1687 (कुल रकबा 5.563 है.) आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत माननीय जिलाधीश महोदय, झुन्झुनू द्वारा दिया जाना है। अतः उक्त प्रमाण पत्र हेतु वन क्षेत्र की भूमि से आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने के सम्बन्ध में ग्राम सभा आयोजित कर कार्यवाही उच्च अधिकारियों को भेजनी है।

सर्वप्रथम इस विषय पर सरपंच श्रीमती सुनित देवी ने जन समुदाय को अपनी राय बताने को कहा। इस पर ग्रामीणों ने विचार विमर्श किया।

विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गढ़राटा की वन भूमि के खसरा नं. 1642, 1634, 1641, 2681/1692, 1693, 1694, 1687 (कुल रकबा 5.563 है.) में आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः कार्यवाही (प्रस्ताव) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

सुनित देवी
सरपंच
ग्राम सभा गढ़राटा
पंचायत समिति खेतड़ी

21/01/18
विमानय अधिकारी
गढ़राटा पंचायत समिति

9/01/18
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद झुन्झुनू

पिरोजगाम सभा

Date _____

आज दिनांक 26/11/18 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुन्धुन के पत्र क्रमांक- 8645 दिनांक 23.11.18 पर श्रीमान विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त समिति खेतड़ी के पत्रांक 138925-138932 दिनांक- 24.11.18 की अनुपालना में एक बार, ए प्रमाण को समझ करने हेतु पिरोजगाम सभा का आयोजन सरपंच महोदय श्रीमती सुनिता देवी की अध्यक्षता में किया गया।

Deejam

Deejam

श्रीमान गतिविधि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुन्धुन के पत्रांक 8645 दिनांक 23/11/18 के संदर्भ में श्रीमान विकास अधिकारी से प्राप्त समिति खेतड़ी के पत्रांक 138925-138932 दिनांक 23/11/18 की अनुपालना में प्रमाण का आयोजन प्रमाण पत्र प्राप्त गाडराह में मंदिर सेवा केन्द्र पर सुबह 10:00 बजे अध्यक्ष महोदय श्री सुनिता देवी सरपंच की अध्यक्षता में शाहू की गई।

Kallash

राजेश

राजेश

राजेश

प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुन्धुन के आदेशानुसार एन आर एस एस 36 श्रममित्रता वि. के द्वारा लवाई गई भिवानी तक की 400 के सी.डी.सी. श्रममित्रता सर्वेक्षण में शामिल वाली वन भूमि से गाडराह प्रमाण पत्र प्रभावित सर्वेक्षण 1642, 1644, 1645, 2681/1692, 1693, 1694, 1687

राजेश

राजेश

राजेश

राजेश

(कुल रकबा 5.563 है) आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने का F.R.A प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत माननीय मिलाधीश महोदय सुन्धुन द्वारा दिया जाना है। अतः इस प्रमाण पत्र हेतु वन क्षेत्र की भूमि से आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होने के संबंध में प्रमाण सभा आयोजित कर कार्यवाही उच्च अधिकारियों को भेजनी है।

राजेश

राजेश

राजेश

राजेश

सर्वप्रथम इस विषय पर सरपंच श्रीमती सुनिता देवी ने जन समुदाय की अपनी राय बताने को कहा। इस पर ग्रामीणों ने विचार-विमर्श किया।

राजेश

राजेश

राजेश

राजेश

विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अन्तर्गत राजस्थान प्रमाण गाडराह की वन भूमि के समुदाय 1642, 1644, 1645, 2681/1692, 1693, 1694, 1687 (कुल रकबा 5.563 है) में आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः कार्यवाही (प्रस्ताव) का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

राजेश

राजेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज0)

क्रमांक :- राजस्व/एफ.आर.ए./2018/152-153

दिनांक :-07-02-2018

बैठक कार्यवाही

आज दिनांक 07-02-2018 को प्रातः 11.00 बजे एन.आर.एस.एस. 36 ट्रान्समिशन लिमिटेड को बबाई से भिवानी 400 के.वी. डी/सी ट्रान्समिशन लाईन डालने बाबत तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू के 13.015 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र जारी करवाने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री श्रवणलाल जाट	क्षेत्रीय वन अधिकारी खेतड़ी	
2.	श्रीमती शशीबाला	विकास अधिकारी पंचायत समिति खेतड़ी	

तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू में एन.आर.एस.एस. 36 ट्रान्समिशन लिमिटेड को बबाई से भिवानी 400 के.वी. डी/सी ट्रान्समिशन लाईन डालने बाबत 13.015 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसील खेतड़ी में वन क्षेत्र की भूमि के ग्राम कमशः गाडराटा, रामकुमारपुरा (पपुरना) एवं बाडलवास के सम्बन्ध में चर्चा की गई जिसमें सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा पारित प्रस्ताव पत्र भी पेश किये गये। (मूल प्रस्ताव संलग्न है।)

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू के पत्रांक पत्रांक प. 12 (3)() राज/2017/2770 दिनांक 27-12-2017 में 12.559 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कम्पनी लेण्ड शैड्यूल के मुताबिक 13.015 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव ग्राम सभाओं में पारित किये गये हैं।

अतः उक्तानुसार तहसील खेतड़ी स्थित 13.015 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र का उपयोग एन.आर.एस.एस. 36 ट्रान्समिशन लिमिटेड को बबाई से भिवानी 400 के.वी. डी/सी ट्रान्समिशन लाईन डालने के लिए एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

क्रमांक :- राजस्व/एफ.आर.ए./2018/152-153

दिनांक :-07-02-2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय झुंझुनू को उनके पत्रांक पत्रांक प. 12 (3)() राज/2017/2770 दिनांक 27-12-2017 के सन्दर्भ में।
2. श्रीमान् उप वन संरक्षक झुंझुनू।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी